



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08062021-227413
CG-DL-E-08062021-227413

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2016]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 8, 2021/ज्येष्ठ 18, 1943

No. 2016]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 8, 2021/JYAISTHA 18, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जून, 2021

का.आ. 2175(अ).—केंद्र सरकार आयकर नियमावली, 1962 के नियमों 5ग और 5ड के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 की उप-धारा (i) के खंडों (ii) और (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा मैसर्स इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भिलाई (पैन:AABAI0415K) को आयकर नियमावली, 1962 के नियमों 5ग और 5ड के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 की उप-धारा (i) के खंडों (ii) और (iii) के प्रयोजनों हेतु सामाजिक विज्ञान एवं सांख्यिकीय अनुसंधान में वैज्ञानिक अनुसंधान और शोध के लिए 'विश्वविद्यालय, कॉलेज अथवा अन्य संस्थान' की श्रेणी के अंतर्गत अनुमोदित करती है।

2. यह अधिसूचना मूल्यांकन वर्ष 2021-2022 हेतु लागू की हुई मानी जाएगी तथा मूल्यांकन वर्षों 2022-23, 2023-2024, 2024-2025, तथा 2025-2026 के संबंध में लागू होगी।

[(अधिसूचना सं. 70 /2021) फा.सं. 203/06/2020/आईटीए-II]

प्रज्ञा परमिता, निदेशक

स्पष्टीकरण ज्ञापन: यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्व प्रभावी किए जाने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।